



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-18102023-249542
CG-DL-E-18102023-249542

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 599]

नई दिल्ली, बुधवार, अक्टूबर 18, 2023/आश्विन 26, 1945

No. 599]

NEW DELHI, WEDNESDAY, OCTOBER 18, 2023/ASVINA 26, 1945

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

प्रारूप अधिसूचना

नई दिल्ली, 17 अक्टूबर, 2023

सा.का.नि. 753(अ).—पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) की धारा 6 और 25 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केंद्रीय सरकार एतद्वारा पर्यावरण (संरक्षण) नियम, 1986 के नियम 5 के उप-नियम (3) की अपेक्षानुसार, जनसाधारण की जानकारी के लिए प्रकाशित किया जाता है; जिनके उससे प्रभावित होने की संभावना है, और यह सूचित किया जाता है कि उक्त प्रारूप अधिसूचना पर, उस तारीख से, जिसको इस अधिसूचना को अंतर्विष्ट करने वाले भारत के राजपत्र की प्रतियां जनसाधारण को उपलब्ध करा दी जाती हैं, साठ दिन की अवधि की समाप्ति पर या उसके पश्चात विचार किया जाएगा। ऐसा कोई व्यक्ति, जो प्रारूप अधिसूचना में अंतर्विष्ट प्रस्तावों के संबंध में कोई आपत्ति या सुझाव देने का इच्छुक है, वह विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर, केंद्रीय सरकार द्वारा विचार किए जाने के लिए अपनी आपत्ति या सुझाव सचिव, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, इंदिरा पर्यावरण भवन, जोर बाग रोड, नई दिल्ली-110003 को लिखित रूप में या ई-मेल पते: mscb.cpcb@nic.in और sonu.singh@gov.in पर भेज सकता है।

- (1) इन नियमों को पर्यावरण (संरक्षण) संशोधन नियम, 2023 कहा जाएगा।
 - (2) वे राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख से एक वर्ष की अवधि की समाप्ति पर लागू होंगे।
- पर्यावरण (संरक्षण) नियम, 1986 की अनुसूची-I में,
 - (i) क्रम संख्या 40 पर 'कीटनाशक उद्योग' से संबंधित प्रविष्टियों को निम्नानुसार प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

क्र.सं.	उद्योग	मापदंड	मानक
40	कीटनाशक उद्योग		बहिस्त्राव मानक
			पीएच और बायो परख परीक्षण को छोड़कर, मि.ग्रा./ली. में सान्द्रता को सीमित करना
			अनिवार्य मापदंड
		पीएच (pH)	6.5-8.5
		बीओडी (3 दिन 27 °C)	30 (प्रतिपादन इकाइयों के साथ-साथ तकनीकी ग्रेड इकाइयों दोनों के लिए)
		सीओडी	तकनीकी ग्रेड इकाइयों और उन इकाइयों के लिए जहां एक ही परिसर में प्रतिपादन कार्यकलापों के साथ-साथ तकनीकी ग्रेड उत्पादन होता है, के लिए 250 प्रतिपादन ग्रेड इकाइयों के लिए 150
		ऑइल और ग्रीस	10
		प्लवमान ठोस पदार्थ	100
		बायो परख परीक्षण	100% बहिस्त्राव में पहले 96 घंटों के बाद मछली के उत्तरजीविता की 90% संभावना
			अतिरिक्त मापदंड
		As के रूप में आर्सेनिक	0.1
		तांबा	1.0
		मैंगनीज	1.0
		पारा	0.01
	एन्टिमनी (Sb के रूप में)	0.1	
	जस्ता	1.0	
	निकल, आदि (भारी धातुएँ पृथक-पृथक रूप से)	बीआईएस के अनुसार पेयजल मानकों से पृथक-पृथक रूप में 5 गुने से अधिक नहीं होना चाहिए	
	साइनाइड CN के रूप में	0.1	
	नाइट्रेट (NO ₃ के रूप में)	50	
	फॉस्फेट (P के रूप में)	5.0	
	फिनोल और फेनोलिक यौगिक C ₆ H ₅ OH के रूप में	1.0	
	गंधक	0.03	
	बेंजीन हेक्साक्लोराइड (बीएचसी)	0.01	
	कार्बोनिल	0.01	
	कॉपर सल्फेट	0.05	
	कॉपर ऑक्सीक्लोराइड	9.6	
	डीडीटी	0.01	
	डाइमेथोएट	0.45	
	2,4 D	0.4	

		एंडोसल्फान	0.01
		फेनिटोथ्रियन	0.01
		मेलाथ्रियान	0.01
		मिथाइल पैराथ्रियान	0.01
		पैराक्वाट	2.3
		फेनाथोएट	0.01
		फोरेट	0.01
		प्रोपोनिल	7.3
		पाइरेथ्रिन्स	0.01
		जिरम	1.0
		अन्य कीटनाशक (पृथक-पृथक)	0.10
		<p>* बायोएस्से परीक्षण IS: 6582-1971 के अनुसार किया जाएगा।</p> <p>टिप्पणी :</p> <ol style="list-style-type: none"> अपना बहिःस्राव सामूहिक बहिःस्राव शोधन संयंत्र (सीईटीपी) में विसर्जित करने वाले उद्योग पर लागू नहीं है, और बागवानी या सिंचाई उद्देश्यों के लिए शोधित अपशिष्ट जल के उपयोग सहित भूमि और सतही जल स्रोतों में किए जाने वाले सभी विसर्जनों पर लागू होगा। संबंधित राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड/प्रदूषण नियंत्रण समिति अनुप्रवाह में प्रापक जल स्रोत के उपयोग के आधार पर कुल घुलनशील कणों (टीडीएस), सल्फेट्स और क्लोराइड की सीमा निर्धारित करेगी, जिसमें बहिःस्राव का निपटान किया जाएगा। <p>"अतिरिक्त मापदण्डों" के रूप में सूचीबद्ध मापदण्डों को प्रत्येक मामले पर निर्भर करते हुए प्रक्रिया और उत्पाद के आधार पर निर्धारित किया जाएगा।</p>	
		मापदण्ड	मानक
		उत्सर्जन मानक	
			सीमित सांद्रता mg/Nm³ में
		HCl	20
		Cl ₂	5
		H ₂ S	5
		NH ₃	30
		P ₂ O ₅	10
		CH ₃ Cl	20
		HBr	5
		कीटनाशक यौगिक विविक्त कण के रूप में	20
		बेंजीन	5
		टोल्यून	100
		ज़ाइलीन	100
		एसीटोनाइटिल	1000
		डाईक्लोरोमिथेन	200

	एसीटोन	2000
	मिथेनॉल	350
	विलायक की कुल संचयी क्षति* भंडारण सूची से वार्षिक आधार पर विलायक के 5% से अधिक नहीं होनी चाहिए * विलायक की क्षति का अर्थ है विलायक का गैसीय, तरल और ठोस रूप में परिसर में छोड़ना।	
भस्मकों के लिए उत्सर्जन मानक		
	जब तक निर्दिष्ट न किया जाए, सांद्रता को मि.ग्रा./ घनमीटर ³ में सीमित करना	नमूने लेने की अवधि (मिनटों में) जब तक निर्दिष्ट न किया जाए
विविक्त कण	50	30 या अधिक (300 लीटर उत्सर्जन के नमूने के लिए)
हाइड्रोजन क्लोराइड (HCl)	50	30
सल्फर डाई आक्साइड (SO ₂)	200	30
कार्बन मोनोक्साइड (CO)	100	दैनिक औसत
कुल जैविक कार्बन	20	30
कुल डाइऑक्सीजन और फ्यूरान (मौजूदा/नया भस्मक)	0.1 ngTEQ/Nm ³	8 घण्टे
Sb+As+Pb+Cr+Co+Cu+Mn+Ni+V और उनके यौगिक	1.5	2 घण्टे
टिप्पणी :		
(i) सभी मानीटर किए गए मान को शुष्क आधार पर 11% ऑक्सीजन तक सही किया जाएगा। (ii) टेल गैस में CO ₂ की सांद्रता 7% से कम नहीं होगी। (iii) यदि हैलोजेनेटेड कार्बनिक अपशिष्ट का वजन इनपुट अपशिष्ट के हिसाब से 1% से कम है, तो एकल कक्ष भस्मक में सभी सुविधाएं इस प्रकार से बनाई जाएंगी कि भस्मक में न्यूनतम तापमान 1100°C प्राप्त किया जा सके। द्रवीकृत बेड प्रौद्योगिकी आधारित भस्मक के लिए, तापमान 950°C पर बनाए रखा जाएगा। (iv) यदि हैलोजेनेटेड कार्बनिक अपशिष्ट का वजन इनपुट अपशिष्ट के हिसाब से 1% से अधिक है, तो अपशिष्ट को केवल टिवन चैम्बर भस्मक में जलाया जाएगा और सभी सुविधा संयंत्रों को प्राथमिक कक्ष में 850±25°C और द्वितीयक दहन कक्ष में 1100°C का न्यूनतम तापमान प्राप्त करने के लिए बनाया जाएगा और द्वितीयक दहन कक्ष में गैस मौजूदगी समय दो सेकंड से कम नहीं होना चाहिए। (v) स्क्रबिंग उत्सर्जन के लिए बने स्क्रबर का उपयोग शमनकर्ता के रूप में नहीं किया जाएगा। (vi) भस्मीकरण संयंत्रों (दहन कक्षों) को ऐसे तापमान, अवधारण समय और वायुमण्डलीय विक्षोप के साथ संचालित किया जाएगा, ताकि भस्मीकरण ऐश और अवशिष्टों में कुल कार्बनिक कार्बन (टीओसी) सामग्री 3% से कम हो और दहन करने पर उनका नुकसान सूखे वजन का 5% से कम हो। मानकों को पूरा न करने की स्थिति में, जैसा भी मामला हो, ऐश और अवशिष्ट को पुनः जला दिया जाएगा। (vii) भस्मक में कम से कम तीस मीटर ऊंची चिमनी होनी चाहिए।		
भस्मक से उत्पन्न बहिःस्राव		
टिप्पणी :		
i. स्क्रबर और फर्श की धुलाई से उत्पन्न बहिःस्राव बंद नाली या पाइपों के माध्यम से प्रवाहित किया जाएगा और पर्यावरण (संरक्षण) नियम, 1986 के तहत अधिसूचित पर्यावरण प्रदूषण (भाग क: बहिःस्राव) के विसर्जन के लिए सामान्य मानकों की अनुसूची VI के साथ पठित ऊपर 'ख' में उल्लिखित बहिःस्राव मानकों का अनुपालन करने के लिए उपचारित किया जाएगा।		

	ii. अपशिष्ट जल या फर्श धोने से बनने वाला टीडीएस उपयोग किए गए अशोधित पानी के टीडीएस से 1000 मिलीग्राम/लीटर से अधिक नहीं होना चाहिए।
	आंधी तूफान से आने वाला जल
	टिप्पणी :
	i. तूफान के साथ आने वाले पानी को स्कवर पानी और/या फर्श धोने के पानी के साथ मिश्रित होने की अनुमति दी जाएगी।
	ii. आंधी तूफान के पानी को 10 मिनट (प्रति घंटा औसत) वर्षा जल धारण क्षमता की एचडीपीई लाइन गड्डे से गुजरने वाली अलग-अलग नालियों के माध्यम से प्रवाहित किया जाएगा।

[फा. सं. क्यू-15017/6/2019-सीपीडब्ल्यू]

नरेश पाल गंगवार, अपर सचिव

टिप्पणी : प्रमुख नियम दिनांक 19 नवम्बर 1986 के सा.का. 844(अ) के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप-खंड (i) में प्रकाशित किए गए थे।

MINISTRY OF ENVIRONMENT, FOREST AND CLIMATE CHANGE**DRAFT NOTIFICATION**

New Delhi, the 17th October, 2023

G.S.R. 753(E).—In exercise of the powers conferred by sections 6 and 25 of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986) the Central Government hereby makes the following draft rules, as required under sub-rule (3) of rule 5 of the Environment (Protection) Rules, 1986, for the information of the public likely to be affected thereby; and notice is hereby given that the said draft notification shall be taken into consideration on or after the expiry of a period of sixty days from the date on which copies of the Gazette containing this notification are made available to the public. Any person interested in making any objections or suggestions on the proposals contained in the draft notification may forward the same in writing, for consideration of the Central Government within the period specified above to the Secretary, Ministry of Environment, Forest and Climate Change, Indira Paryavaran Bhawan, Jor Bagh Road, New Delhi-110003, or send it to the e-mail address: msbc.pcb@nic.in and sonu.singh@gov.in.

1. (1) These rules may be called the Environment (Protection) Amendment Rules, 2023.
 - (2) They shall come into force on expiry of one year from the date of their publication in the Official Gazette.
2. In the Environment (Protection) Rules, 1986, in Schedule-I,
 - (i) At serial number 40 entries relating to 'Pesticide Industry' shall be substituted, namely:-

S. No.	Industry	Parameter	Standards
40	Pesticide Industry	Effluent Standards	
			Limiting concentration in mg/l, except for pH and Bioassay test
		Compulsory Parameters	
		pH	6.5-8.5
		BOD (3 days 27 °C)	30 (for both formulation units as well as technical grade units)
		COD	250 for technical grade units and for those units where formulation activities as well as technical grade production in the same premises) 150 for formulation grade units
		Oil and Grease	10

Suspended Solids	100
Bioassay Test	90% survival of fish after 96 hours in 100% effluent
Additional Parameters	
Arsenic as As	0.1
Copper	1.0
Manganese	1.0
Mercury	0.01
Antimony (as Sb)	0.1
Zinc	1.0
Nickel, etc. (heavy metals individually)	Shall not exceed individually 5 times the drinking water standards as per BIS
Cyanide as CN	0.1
Nitrate (as NO ₃)	50
Phosphate (as P)	5.0
Phenol & Phenolic Compounds as C ₆ H ₅ OH	1.0
Sulphur	0.03
Benzene Hexachloride (BHC)	0.01
Carbonyl	0.01
Copper Sulphate	0.05
Copper Oxychloride	9.6
DDT	0.01
Dimethoate	0.45
2,4 D	0.4
Endosulfan	0.01
Fenitrothion	0.01
Malathion	0.01
Methyl Parathion	0.01
Paraquat	2.3
Phenathoate	0.01
Phorate	0.01
Proponil	7.3
Pyrethrums	0.01
Ziram	1.0
Other Pesticide (individually)	0.10
*Bioassay Test shall be carried out as per IS: 6582-1971.	
Note:	
1. Not applicable to industry discharging to Common Effluent Treatment Plant (CETP), and shall be applicable to all discharge to land and surface water bodies including use of treated wastewater for horticulture or irrigation purpose	
2. The concerned State Pollution Control Board / Pollution Control Committee shall prescribe limits of Total Dissolved Solids (TDS), Sulphates and Chlorides depending on the usages of recipient water body in downstream, in which effluent shall be disposed off.	

		3. Parameters listed as “Additional Parameters” shall be prescribed depending upon the process and product, on a case to case basis.	
		Parameter	Standards
		Emission Standards	
			Limiting concentration in mg/Nm³
		HCl	20
		Cl ₂	5
		H ₂ S	5
		NH ₃	30
		P ₂ O ₅	10
		CH ₃ Cl	20
		HBr	5
		Pesticides compounds in the form of particulate matter	20
		Benzene	5
		Toluene	100
		Xylene	100
		Acetonitrile	1000
		Dichloromethane	200
		Acetone	2000
		Methanol	350
		The total cumulative losses of solvent* should not be more than 5% of the solvent on annual basis from storage inventory	
		*Losses of solvent means solvent leaving premises in gaseous, liquid and solid forms.	
		Emission Standards for Incinerator	
			Limiting Concentration in mg/Nm ³ , unless stated
			Sampling durations in (minutes) unless stated
		Particulate Matter	50
			30 or more (for sampling of 300 litres of emission)
		HCl	50
		SO ₂	200
		CO	100
			Daily average
		Total organic Carbon	20
			30
		Total Dioxins and Furans(Existing /New Incinerator)	0.1 ngTEQ/Nm ³
			8 hours
		Sb+As+Pb+Cr+Co+Cu+Mn+Ni+V and their compounds	1.5
			2 hours
		Note:	
		(i) All monitored value shall be corrected to 11% oxygen on dry basis.	
		(ii) The CO ₂ concentration in tail gas shall not be less than 7%.	
		(iii) In case, halogenated organic waste is less than 1% by weight input waste, all the facilities in single chamber incinerators shall be designed so as to achieve a minimum temperature of 1100°C in the incinerator. For fluidized bed technology based incinerator, temperature shall be maintained at 950°C.	
		(iv) In case halogenated organic waste is more than 1% by weight in input waste, waste shall be	

	<p>incinerated only in twin chamber incinerators and all the facilities shall be designed to achieve a minimum temperature of $850\pm 25^{\circ}\text{C}$ in primary chamber and 1100°C in secondary combustion chamber with a gas residence time in secondary combustion chamber not less than two seconds.</p> <p>(v) Scrubber meant for scrubbing emissions shall not be used as quencher.</p> <p>(vi) Incineration plants shall be operated (combustion chambers) with such temperature, retention time and turbulence, as to achieve Total Organic Carbon (TOC) content in the incineration ash and residue less than 3% and their loss on ignition is less than 5% of the dry weight. In case of non-conformity, ash and residue as the case may be, shall be re-incinerated.</p> <p>(vii) The incinerator shall have a chimney of at least thirty meters height.</p>
	Effluent from Incinerator
	<p>Note:</p> <p>i. Effluent from scrubber(s) and floor washings shall flow through closed conduit or pipe network and be treated to comply with the effluent standards mentioned at 'B' above read with Schedule VI: General Standards for Discharge of Environment Pollutions (Part A: Effluents) notified under the Environment (Protection) Rules, 1986.</p> <p>ii. The build-up in TDS in wastewater or floor washings shall not exceed 1000 mg/l over and above the TDS of raw water used.</p>
	Storm water
	<p>Note:</p> <p>i. Storm water shall be allowed to mix with scrubber water and/or floor washings.</p> <p>ii. Storm water shall be channelized through separate drains passing through a HDPE lined pit having holding capacity of 10 minutes (hourly average) of rainfall.</p>

[F. No:Q-15017/6/2019-CPW]

NARESH PAL GANGWAR, Addl. Secy.

Note : The principle rules were published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), *vide* number S.O. 844 (E) dated the 19th November 1986.